कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक 1339 पी.ए. / 2020 इन्दौर, दिनांक 25.03.2020

"कर्फ्यू आदेश"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उददेश्य से इन्दौर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए और लोक जीवन की सुरक्षा हेतु सख्ती से कराया जाना आनिवार्य हो गया है। अतएव, मुझे इस बात की संतुष्टी हुई है कि इन्दौर नगर निगम सीमा मे तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर, कर्फ्यू आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। अतः मैं लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर एतद द्वारा यह आदेशित करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों पर, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गो अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन/यातायात का कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सभी नगर निगम, इन्दौर की सीमा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने घरों पर ही रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

उक्त प्रतिबंध के कियान्वयन से निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया गया है –

1. शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारी/अन्य अमला
2. पुलिस बल, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इन्टरनेट/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर
3. किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा
4. लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण
5. आवश्यक वस्तुओं की घर पहुच सेवा/होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था
6. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया
7. दवा दुकाने
8. समस्त प्रकार के ईधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपों
9. खाद्यान, दाल, खाद्य तेल, अन्य कोई भी खाद्य सामग्री की निर्माण ईकाईया
10. दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं चिकित्सीय उपकरण, दवा मे उपयोग में लायी जा रही कच्ची सामग्री एवं उक्त प्रतिष्ठानों/निर्माण ईकाई में कार्यरत कर्मीयों एवं निर्मीत सामग्री अथवा उत्पाद/कच्ची सामग्री पर लागू नहीं होगें।

दैनिक जीवन की आवश्यक/बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे– सब्जीयां, ब्रेड, अनाज, दूध, डेरी एवं किराने का सामान, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकाने/आउटलेट, दिनांक 26.03.2020 से आगामी आदेश तक प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खुली रहेंगी।

चूकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदन को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र०.340./पी.ए./2020 इन्दौर, दिनांक 25/3/2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
7. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
9. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर
11. कार्यपालन संचालक, एम.पी.आई.डी.सी.
12. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
13. एयरपोर्ट डायरेक्टर, इन्दौर
14. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
15. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी एवं विकास अभिकरण
16. एस.डी.ओ. (पुलिस), डा. अम्बेडकरर नगर(महू), सांवेर, देपालपुर।

17. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्दौर
18. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
19. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
20. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेशित ।
21. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित।
22. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
24. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर
25. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर
26. जिला परिवहन अधिकारी, इन्दौर
27. जिला अपूर्ति अधिकारी, इन्दौर
28. संबंधित समस्त अधिकारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर